

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-4017/2024 श्र0सं0- 1537

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/मुंगेर/भागलपुर/पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर/भोजपुर (आरा)/
सीतामढ़ी/बांका/सारण/सुपौल एवं खगड़िया।

पटना, दिनांक- 22/03/2025

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230- श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

3. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए अनुदान की राशि रुपये ₹01,00,000/- एवं ₹02,00,000/- प्रति आश्रित की दर से विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु०)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	समस्तीपुर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-383, दिनांक-04.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 सुरज कुमार, पिता-श्री बिजली साह, आश्रित-रूपम कुमारी (पत्नी), ग्राम-कापन, पोस्ट+प्रखण्ड-विभुतिपुर, जिला-समस्तीपुर।
2	मुंगेर	01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक-367, दिनांक-03.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 सुदामा कुमार, पिता-स्व0 सरयुग सिंह, आश्रित-दिव्यांशु राज (पुत्र), ग्राम-पियारपुर, पोस्ट-भगलपुरा, थाना+प्रखण्ड-तारापुर, जिला-मुंगेर।
3	भागलपुर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक-467, दिनांक-04.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मो0 सकीम, पिता-मो0 लोकमान, आश्रित-बेगम (माता), ग्राम-अमडार, पंचायत-बैजलपुर, थाना+प्रखण्ड-सबौर, जिला-समस्तीपुर।
4	पूर्णियाँ	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक-453, दिनांक-28.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 पवन कुमार उर्फ पवन महतो, पिता-महेश्वर महतो, आश्रित-पूजा देवी (पत्नी), ग्राम-पुरानी गरैल राजघाट संज्ञाघाट, थाना-मीरगंज, प्रखण्ड-धमदाहा, जिला-पूर्णियाँ।

		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक-454, दिनांक-28.02.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 परशुराम मंडल, पिता-हरि मंडल, आश्रित-बब्बी देवी (पत्नी), ग्राम-झगरुआ वार्ड नं0-02, पोस्ट+पंचायत-जगैली, थाना+प्रखण्ड-श्रीनगर, जिला-पूर्णियाँ।
5	मुजफ्फरपुर	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-625, दिनांक-27.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मिथलेश कुमार, आश्रित-गीता देवी (पत्नी), ग्राम-लक्ष्मण नगर, वार्ड नं0-11, पोस्ट-लक्ष्मण नगर, थाना+प्रखण्ड-गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर।
6	भोजपुर (आरा)	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, आरा के ज्ञापांक-141, दिनांक-24.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मुकेश कुमार सिंह, पिता-अवधेश सिंह, आश्रित-अमृता सिंह (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-बिहटा, थाना-इमादपुर, प्रखण्ड-तरारी, जिला-भोजपुर।
7	सीतामढ़ी	01	1,00,000 / -	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक-250, दिनांक-25.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 राहुल कुमार, आश्रित-श्री मोहन साह (पिता), ग्राम-डुमरी खुर्द, पोस्ट-डुमरी कला, प्रखण्ड-मेजरगंज, जिला-सीतामढ़ी।
8	भोजपुर (आरा)	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के ज्ञापांक-140, दिनांक-24.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मनोज पाण्डेय, पिता-स्व0 ब्रह्मेश्वर नाथ पाण्डेय, आश्रित-मसो0 पूजा देवी (पत्नी), ग्राम-सोनकी, पोस्ट-सुहीया, थाना+प्रखण्ड-शाहपुर, जिला-भोजपुर।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के ज्ञापांक-139, दिनांक-22.02.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 राजेश शर्मा, पिता-श्री भगवान शर्मा, आश्रित-मसो0 गीता देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-दलीपपुर, थाना+प्रखण्ड-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर।
9	सारण	01	1,00,000 / -	श्रम अधीक्षक, सारण के पत्रांक-838, दिनांक-10.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 लक्ष्मण राय, आश्रित-मसो0 शिवकुमारी देवी (पत्नी), ग्राम-छोटका बनेया, पोस्ट-बड़का बनेया, थाना-डेरनी, प्रखण्ड-दरियापुर, जिला-सारण।

4. **अनुसूचित जाति** (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए अनुदान की राशि रुपये रु01,00,000/- एवं रु02,00,000/- प्रति आश्रित की दर से विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु०)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	बांका	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, बांका के ज्ञापांक-141, दिनांक-06.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मनोज दास, पिता-स्व0 हरि दास, आश्रित-मसो0 राखी कुमारी (पत्नी), ग्राम-हरना, पंचायत-असनाहा, थाना-बंधुआकुरांव, प्रखण्ड-बौंसी, जिला-बांका।

2	मुजफ्फरपुर	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-626, दिनांक-27.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० राम बाबु पासवान, आश्रित-सुधा देवी (पत्नी), ग्राम-सरमस्तपुर, वार्ड नं०-02, पोस्ट-चन्दनपट्टी, थाना+प्रखण्ड-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर।
3	सुपौल	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक-163, दिनांक-20.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० राम विलास रजक, पिता-धनी लाल रजक, आश्रित-मसो० रामवती देवी (पत्नी), ग्राम-राजपुर वार्ड नं०-01, पोस्ट-डगमारा, थाना-कुनौली, प्रखण्ड-निर्मली, जिला-सुपौल।
4	खगड़िया	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक-02, दिनांक-01.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० संजय ताँती, पिता-शिव बालक ताँती, आश्रित-मसो० सीता देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-रानी सकरपुरा, थाना-गंगौर, प्रखण्ड+जिला-खगड़िया।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक-01, दिनांक-01.01.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० रुबल कुमार, पिता-श्री प्रमोद रजक, आश्रित-श्री प्रमोद रजक (पिता), ग्राम-खडगपुर, पोस्ट-कबेला, थाना+प्रखण्ड-परबत्ता, जिला-खगड़िया।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3060, दिनांक-11.06.2024 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000 / - (दो लाख) एवं 1,00,000 / - (एक लाख) मात्र, प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब सक्षम पदाधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभान्वित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
- श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वसभाजन

22/03/25
मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-4017/24 श्र0सं0- 1537

पटना, दिनांक- 22/03/2025

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

विश्वासभाजन

22/03/25

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त,
बिहार, पटना।